यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून** के माह 01/2020 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2021 से 29.01.2021 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 18.01.2020 से 23.01.2020 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 01/2019 से 12/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून का मुख्य कार्य नहर निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- सिंचाई खंड देहरादून, कालसी एवं विकासनगर।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	166.13	151.51	-	-	-	14.62
2019-20	-	-	3.56	3.05	-	-	-	0.51
2020-21 (till 12/2020)	-	-	1.90	1.10	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	शून्य					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन प्रमुख अभियंता (वित्त नियंत्रक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा किया जाता है। इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

-- प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

-- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

-- मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग

-- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

<u>प्रस्तरः01-</u> एक कार्य हेतु पर्याप्त निविदाताओं की भागीदारी के बावजूद एवं अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों को दर-किनार कर एकल निविदा (`378.25लाख) को स्वीकार किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली-2008 व 2017 के नियम-3 के तहत प्रथम मौलिक सिद्धांत इस प्रकार निर्धिष्ट है कि 'अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाय ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके'।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्यमण्डल,देहरादून द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान सम्पन्न की गई ठेकों की अधिप्राप्ति से संबन्धित अभिलखों की नमूना जांच में पाया गया था कि कार्यालय द्वारा नाबार्ड वित्त-पोषण के तहत स्वीकृत (शासनादेश स0-345/II-2-2020(03)/2018 दिनांक 13-03-2020) `443.54 लाख की लागत के एक कार्य (विकासनगर विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न नहरों- कट्टापत्थर, पृथ्वीपुर, तेलपुरा, लखनवाला, जामनखता एवं लांघा पासोली) हेतु आमंत्रित निविदाओं में उपरोक्त वर्णित अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों का अनुपालन निमन्वत्त सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- कार्य हेतु प्रथम निविदा आमंत्रण ई-टेंडर नोटिस स0-04/एस.ई./2020-21 दिनांक 10-07-2020 के माध्यम से किया गया था जिसके सापेक्ष कुल 04 निविदाएँ प्राप्त हुई थी। निविदा निस्तारण समिति द्वारा तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन (दिनांक 13-08-2020) में 02 निविदाएँ नॉन-रिस्पोंसिव (Non-responsive) पाई गयी थी और शेष 02 निविदाओं को रिस्पोंसिव (1-मै0 राजीव आनन्द, 2-मै0 पराग जैन) जिनकी ऑनलाइन वित्तीय निविदाओं को दिनांक 19-08-2020 को खोले जाने का निर्णय लिया गया था।

  कार्यालय द्वारा दिनांक 19-08-2020 को, मै0 राजीव आनन्द की तकनीकी निविदा से संबन्धित दो दस्तावेजों (निविदाता में अपने लेटर हेड में हाथ से लिखा ESI पंजीकरण संख्या और उसके द्वारा जमा ESI चालान की छाया प्रति) को एक न्याय अधिवक्ता (AdvocateThapliyal & Associates, Vanant Vihar, Dehradun) को संलग्न करते हुए यह राय मांगी कि क्या इन दस्तावेजों के आधार पर इस ठेकेदार की निविदा को योग्य माना जा सकता है अथवा नहीं? अधिवक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-08-2020 के माध्यम से उत्तर दिया था कि उपलब्ध करायी गई ESI चालान की छाया प्रति साफ नहीं है तथा लेटर हेड में दर्ज ESI पंजीकरण संख्या-6100045782100 के कुल डिजिट ESICCodeकी भांति पूर्ण नहीं है अतः इन्हें ESIC विभाग से ही सत्यापित करवाया जाय। हालांकि, न तो कार्यालय द्वारा ठेकेदार से अपने ESI पंजीकरण के संधर्भ में वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लिखा/कहा गया और न ही अधिवक्ता की राय के अनुरूप ESIC विभाग से उक्त का सत्यापन करवाया गया था। यह भी कि ठेकेदार के उक्त पत्र की छाया प्रति इस प्रकार से की गई थी कि उल्लेखित ESI पंजीकरण संख्या का अन्तिम अंक (संख्या-61000457821001) कट गया था। अतः स्पष्ट था कि कार्यालय द्वारा अधिवक्ता को जानबूझकर अपठनीय एवं अपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये गए थे।

  दिनांक 29-08-2020 को सम्पन्न निविदा निस्तारण समिति की बैठक में उक्त दस्तावेज़ की कमी के कारण मै0 राजीव आनन्द की तकनीकी निविदा को भी अयोग्य मानते हुए संपूर्ण निविदा को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अब मै0 पराग जैन की एक मात्र निविदा शेष जिसे प्रथम प्रयास की निविदा होने के कारण खोला जाना उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम-20(16) के अनुसार अनियमित है।

- कार्य हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण ई-टेंडर नोटिस स0-05/एस.ई./2020-21 दिनांक 29-08-2020 के माध्यम से किया गया था। इस निविदा आमंत्रण में भी 04 निविदाएँ प्राप्त हुई थी जिसमें प्रथम 03 तीन निविदाएँ उन्हीं ठेकेदारों (1-मै0 राजीव आनन्द, 2-मै0 सतीश कुमार, 3-मै0 पराग जैन) की थी जिनके द्वारा प्रथम निविदा आमंत्रण में भी प्रतिभाग किया गया था।

  निविदा निस्तारण समिति द्वारा तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन (दिनांक 28-09-2020) में 03 निविदाएँ नॉन-रिस्पोंसिव (Non-responsive) पाई गयी थी और मै0 पराग जैन की एक मात्र निविदा रिस्पोंसिव पाया गया था। उक्त सफल एकल निविदाता की वित्तीय निविदा को दिनांक 03-10-2020 को खोला गया जो `3,78,24,600

(आगणित मूल्य से 1.24% कम) हेतु थी और तदनुसार निविदा स्वीकार कर अनुबंध स0-06/एसई/2020-21 दिनांक 03-10-2020 गठित किया गया था।

मै0 राजीव आनन्द एवं मै0 सतीश कुमार तकनीकी निविदाओं को अस्वीकार करने हेतु निविदा निस्तारण समिति द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया था कि-"ITR submitted of AY 2018-19 (FY 2017-18) is not of bidder M/s Rajeev Anand but it is of Geeta Anand" whereas "Bid Security submitted by M/s Satish Kumar is not clear and proper".हालांकि,लेखा परीक्षा में पाया गया था कि:

- यद्यपि मै0 राजीव आनन्द की तकनीकी निविदा वित्तीय वर्ष 2017-18 की जो ITRAcknowledgement प्रस्तुत की गई थी वह उनके स्वयं के नाम से न होकर उनकी पत्नी के नाम की थी परन्तु उक्त ITRAcknowledgement के साथ जो भी वांछित संलग्नक थे वे सभी मै0 राजीव आनन्द से संबन्धित थे और प्रत्येक पर आयकर विभाग का होलोग्राम भी अंकित था जो स्वतः स्पस्ट करता है कि मै0 राजीव आनन्द द्वारा उक्त वर्ष का ITR जमा कराया गया था। यह भी कि यदि विभाग चाहता तो उनके पास इसी कार्य की प्रथम निविदा आमंत्रण के समय उपलब्ध करायी उक्त वर्ष (AY 2018-19/FY 2017-18) की ITR भी मोजूद थी क्योंकि उस निविदा में संधर्वित्त शर्त (ITB क Clause-3) हेतु उसे पात्र (Eligible&Qualified) घोषित किया गया था।

- मै0 सतीश कुमार की निविदा को उक्त एकमात्र कारण (`7.66 लाख की BidSecurity जमा करने की शर्त को पूरा नहीं किया गया) हेतु अस्वीकार किया जाना भी अनुचित था क्योंकि इस ठेकेदार द्वारा निविदा आमंत्रण की वांछित शर्त (*Original bid security in the form of FDR of any Nationalised Bank/Scheduled Bank pledged in the name of Executive Engineer, Irrigation Division, Vikasnagar*) के सापेक्ष `8.00 लाख कीसावन्धिक जमा (FDRNo.809005 dated 18-09-2020 of Punjab & Sindh Bank, Herbertpur, Dehradun)उपलब्ध कराई गई थी जिसके बारे में किसी प्रकार का उल्लेख दर्ज नहीं था कि किस आधार पर इस दस्तावेज़ को "Not clear and proper" माना गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्य इस ओर इंगित करते है कि विभाग द्वारा उक्त कार्य की निविदा चयन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता जैसे मौलिक सिद्धांतों को दरकिनार कर एक मात्र निविदाता मै0 पराग जैन की निविदा के चयन हेतु सभी जतन किए और अन्य के मामले में जैसे-प्रथम प्रयास की तकनीकी निविदा में मै0 राजीव आनन्द की निविदा को के एक बार सफल घोषित करने के एक सप्ताह उपरान्तबिना तथ्यों की छानबीन के असफल घोषित किया गया और दूसरे प्रयास की निविदा में अन्य दो निविदाओं को बिना किसी ठोस कारणों के नकारा गया था।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून द्वारा अपने उत्तर में मात्र यह उल्लेख किया गया था कि निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रमुख अभियंता द्वारा गठित निविदा समिति निर्णय लेने हेतु सक्षम है और ITB के पैरा-22(5) के अनुसार निविदा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के वीरुध कोई भी शिकायत निर्धारित 03 दिनों के अंदर प्राप्त न होने के कारण निविदा समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार निर्णय लिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कोई भी प्राधिकार प्राप्त समिति न तो मनमाने निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होती है और न ही अपने ही निर्णय को पुनः बदलने हेतु। यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक हो जाता है कि निविदा निस्तारण जैसे संवेदनशील निर्णय,निविदा के पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर,तत्काल आधार पर लिए जाते है और किसी संशय/अपृयाप्तता की दशा में उक्त के संधर्भ में समुचित कारण दर्ज किए जाते है, जिनका इन प्रकरणों में नितांत अभाव था।

इसलिए,पर्याप्त निविदाताओं की भागीदारी के बावजूद एवं अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों को दर-किनार करएकल निविदा (`378.25लाख) को स्वीकार किए जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:01- अनुबंध गठन हेतु कम अतिरिक्त परफॉर्मेंस सेक्योरिटी प्राप्त किया जाना, ` 30.06 लाख।

शासन द्वारा पत्र संख्या 770/III(2)/17-20(सामान्य)/2011 टी॰सी॰-1; दिनांक 12/06/2017 के माध्यम से निर्माण कार्यो में विभागीय दरों से कम दर पर प्राप्त निविदा स्वीकार करने से पूर्व अतिरिक्त परफॉर्मेंस सेक्योरिटी (Additional Performance Security -APS) का निर्धारण एवं प्राप्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा शासन के उपरोक्त पत्र के प्रावधानों को, कार्य की NIT (Instruction to Bidder) /Model Bidding documents और अनुबंध में प्रस्तर संख्या 30 के अंतर्गत शामिल किया गया। उक्त प्रावधानों के अनुसार "The employer may increase the performance security to a level sufficient to protect it against the possibility of financial loss, if the lowest evaluated bid is unbalanced. The amount of Additional Performance Security (APS) shall be worked as follows"

- **i.** No additional performance security for item rate up to 5% below the estimated item rate.
- **ii.** From 5% below to 15% below the estimated rate, an additional performance security of 0.50% of the estimated cost of the item for every 1% below the estimated rate,
- **iii.** From 15% below the estimated rate, an additional performance security of 1% of the estimated cost of the item for every 1% below the estimated rate,

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून के अभिलेखो की लेखा परीक्षा (जनवरी 2021) में पाया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा विकास नगर, देहरादून में NABARD के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी कार्य के निष्पादन हेतु, कार्य की अनुमानित लागत [`383.33 लाख + GST (@12%)] के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा दी गयी दरों [`319.64 लाख + GST (@12%)] पर एक अनुबंध (CB No.-05/SE/2020-21, dated 03/10/2020; M/S Construction Gallery, Vikas Nagar) गठित किया गया था। विभाग द्वारा विभागीय दर से निम्न दर पर अनुबंध गठित किए जाने हेतु ठेकेदार से Additional Performance Security (`43.52 लाख) प्राप्त किया गया था, जबकि उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा ठेकेदार से कुल `74.12 लाख Additional Performance Security प्राप्त किया जाना चाहिए था।

Calculation of Additional Performance Security (APS)

Sl. No.	Items of work	Estimated Amount	Contractor Amount	Difference	Percentage below the estimated amount	Applicable APS
1	E/W in Excavation……	2373750	1132500	-1241250	-52.29	1234350
3	P/L PCC (1:3:6)……	4036860	3420000	-616860	-15.28	302764.5

4	RR Stone Masonary (1:5)……	25222890	20412700	-4810190	-19.07	4792349.1
7	P/L wire crates……	1174320	931700	-242620	-20.66	246607.2
8	Back filling behind abutment	1155360	320000	-835360	-72.30	831859.2
11	Clearing & Grubbing of road land.	11952	8000	-3952	-33.07	3944.16
Total						**7411874.16**

इस प्रकार विभाग द्वारा ` 30.06 लाख (74.12 लाख- 43.52 लाख) कम Additional Performance Security प्राप्त कर अनुबंध गठन की कार्यवाही किया गया। मण्डल कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा आपाति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि ठेकेदार को अतिरिक्त परफॉर्मेंस सेक्योरिटी जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः विभाग द्वारा `30.06 लाख कम Additional Performance Security प्राप्त कर अनुबंध गठन की कार्यवाही किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
28/2006-07	1	1	-
35/2014-15	-	1	-
67/2017-18	-	1	-
103/2018-19	-	1 & 2	1
103/2019-20	-	1, 2 & 3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तरों के अनुपालन पर टिप्पणी एवं पत्रांक 3088/ सि.का.म.दे. दिनांक 09 जुलाई 2019 संलग्न अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र॰ सं॰	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता	01.10.18 से 03.10.20 तक
2.	श्री राकेश कुमार तिवारी	अधीक्षण अभियंता	03.10.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ ए॰एम॰जी॰ - I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी॰ - I